

राजस्थान-सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ-4(10)परावि/पीपी/जीकेएन/2014-15

जयपुर दिनांक 17 सितम्बर, 2015

स्थायी आदेश संख्या- 20 / 2015


विभागीय परिपत्र संख्या- 17/2015 के द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2015 भाग-1 जारी की गई थी। इस निर्देशिका के निम्न निर्देशों में संशोधन किये जाते हैं :-

1. निर्देश संख्या- 7.1 शिड्यूल ऑफ पॉवर्स हेतु परिशिष्ट-2 (ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2015 भाग-1) की तालिका संख्या- 3 शिड्यूल ऑफ पॉवर्स के तकनीकी स्वीकृति (संशोधन सहित) में कॉलम संख्या- 6 में निम्न शर्त/टिप्पणी और जोड़ी जावेगी :-

“प्राकृतिक आपदा की स्थिति में क्षतिग्रस्त कार्यों के तत्काल सम्पादन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक लाख तक की तकनीकी स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका- 2015 के भाग- 1 के निर्देश संख्या- 4.3 व 4.4 के अनुसार जारी की जा सकेगी।”

2. निर्देश संख्या - 9.5.1 - पंचायत समिति स्तरीय बाजार दर सर्वेक्षण एवं प्रस्तावक समिति में उप-निर्देश संख्या - 1 के अनुसार इस समिति में एक सरपंच एवं एक ग्राम सेवक (कुल 2 सदस्य) और शामिल किये जाते हैं। प्रतिवर्ष रोटेशन के आधार पर इन सदस्यों का चयन विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति की प्रशासन व स्थापना समिति की बैठक में लॉटरी के आधार पर किया जायेगा।
3. ग्रामीण कार्य निर्देशिका- 15 भाग-1 के निर्देश संख्या- 18.1 - “राज्य स्तरीय तकनीकी अनुमोदन समिति में कम संख्या- 5 पर अंकित जिलों के आमंत्रित अधिशाही अभियंता 3 के स्थान पर प्रत्येक संभाग से एक अधिशाही अभियंता को प्रतिवर्ष रोटेशन के आधार पर सदस्य नियुक्त किया जाता है।”

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


(श्रीमत् पाण्डेय) 16/09/2015
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
5. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, ग्रा.वि.एवंपंचा.राज.विभाग, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
8. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/अभियंतागण, ग्रा.वि.एवंपं.रावि/ईजीएस जयपुर।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
10. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त।
11. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जि.प. समस्त राजस्थान।
13. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्रा.पं., ग्राम सेवक एवं प्रत्येक अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
14. रक्षित पत्रावली।

(के. के. शर्मा) 16/11/18
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

Sw PD (म.स.) को वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु

PD - म.स.

17/11/18